

**ग्राम पंचायत रायपुर मैदान, विकास खण्ड बंगाणा, जिला ऊना के लेखाओं का
अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन**

अवधि 01.04.2022 से 31.03.2024

भाग-1

1 (क) प्रस्तावना :-

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत रायपुर मैदान, विकास खण्ड बंगाणा, जिला ऊना के अवधि 01.04.2022 से 31.03.2024 के लेखाओं का प्रथम अंकेक्षण कार्य हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत रायपुर मैदान में निम्नलिखित प्रधान व सचिव कार्यरत रहे :-

प्रधान :-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्रीमती रीटा शर्मा	01.04.2022 से 31.03.2024

पंचायत सचिव:-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्री महिंदर सिंह	01.04.2022 से 31.03.2024

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार:-

ग्राम पंचायत रायपुर मैदान, विकास खण्ड बंगाणा, जिला ऊना के लेखाओं अवधि 01.04.22 से 31.03.24 के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से था :-

क्रम संख्या	पैरा संख्या	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि (लाखों में)
1)	6.1	अनुदान उपयोग हेतु शेष	12.93
2)	7.2	विवाह पंजीकरण शुल्क को सरकारी कोष में जमा न करना	0.07
3)	7.3	विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में कम वसूली करना	0.02
4)	8.1	निर्माण सामग्री का अनियमित क्रय	2.31
5)	8.2	औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना निर्माण सामग्री का क्रय करना	2.27
6)	8.3	क्रय की गई सामग्री की स्टॉक प्रविष्टियाँ न करना	2.19
7)	8.4	तकनीकी मूल्यांकन के बिना मजदूरी का भुगतान	1.97
8)	8.5	आपूर्तिकर्ता के बिलों से रॉयल्टी की कटौती न करना	0.88
9)	8.6	स्त्रोत पर जी.एस.टी. टी.डी.एस. की कटौती न करना	0.22
10)	9.1	निर्माण सामग्री को खपत से अधिक	0.58

		जारी करने के कारण अनियमित भुगतान	
11)	9.2 व 9.3	मनरेगा मद के अंतर्गत अधिक / अनियमित भुगतान करना	0.22
12)	10.1, 10.2 व 10.3	अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना	12.57

भाग-2

2 वर्तमान अंकेक्षण :-

ग्राम पंचायत रायपुर मैदान, विकास खण्ड बंगाणा, जिला ऊना के अवधि 01/04/22 से 31/03/24 तक के लेखाओं का वर्तमान अंकेक्षण श्री देव राज, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 16/08/2024 से 22/08/2024 तक ग्राम पंचायत रायपुर मैदान के कार्यालय में किया गया। आय व्यय की विस्तृत जांच हेतु मास चयन निम्न तालिका के अनुसार स्व: स्त्रोतों की आय तथा पंचायत के कुल व्यय के आधार पर किया गया :-

वित्तीय वर्ष	आय	व्यय
2022-23	02/2023	06/2022
2023-24	03/2024	06/2023

“इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी गलत सूचना / अभिलेख के अपूर्ण / गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा”

3 अंकेक्षण शुल्क :-

ग्राम पंचायत रायपुर मैदान, विकास खण्ड बंगाणा, जिला ऊना के अवधि 01/04/22 से 31/03/24 तक के लेखाओं का अंकेक्षण शुल्क **₹4800** आंका गया। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट / मल्टीसिटी चैक के माध्यम से निदेशक, हि० प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग शिमला-9 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अध्याचना संख्या 713/2024 दिनांक 22/08/2024 द्वारा पंचायत सचिव से अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में ग्राम पंचायत रायपुर मैदान द्वारा पंजाब नेशनल बैंक रायपुर के बैंक ड्राफ्ट संख्या UKZ 094353 दिनांक 06/09/2024 द्वारा उक्त राशि को निदेशक, हि० प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग शिमला-9 को प्रेषित कर दिया गया।

4 (क) वित्तीय स्थिति:-

सचिव, ग्राम पंचायत रायपुर मैदान द्वारा अंकेक्षण अध्याचना संख्या 688/2024 दिनांक 16/08/2024 के प्रत्युत्तर में प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार पंचायत के अवधि 04/22 से 03/24 के लेखाओं की संकलित वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से थी, जिसका विस्तृत विवरण **सलग्न परिशिष्ट "क"** पर दिया गया है। ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान छः रोकड़ बहियों अर्थात् स्वः स्तोट व अनुदान (समेकित रोकड़ बही) Offline, स्वच्छ भारत मिशन 2022-23 (PFMS) 2023-24 (Offline), 14वां वित्तायोग (Offline), 15वां वित्तायोग (Online), एकीकृत जलागम प्रबन्धन परियोजना (अंशदान) Offline व मनरेगा (Online) का रख-रखाव किया गया था।

संकलित वित्तीय स्थिति						
1	2	3	4	5	6	7
क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष (₹)	आय ब्याज सहित (₹)	कुल योग (₹) (3+4)	व्यय (₹)	अंतिम शेष (₹) (5-6)
1	2022-23	1298162.32	8661833.61	9959995.93	7852316.67	2107679.26
2	2023-24	2107679.26	7295230.93	9402910.19	8110040.22	1292869.97

(ख) बैंक समाधान विवरणी :-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत रायपुर मैदान के अंकेक्षण अवधि के अंत में दिनांक 31.03.24 को **निम्नानुसार** रोकड़ बही तथा बैंक खातों में अन्तर **₹40074.80** था :-

1)	दिनांक 31.03.24 को रोकड़ बही खाता पैरा 4(क) का अंतशेष	1292869.97
2)	दिनांक 31.03.24 को बैंक का अन्तशेष (परिशिष्ट क-1)	1332944.77
3)	दिनांक 31.03.24 को हस्तगत राशि (स्व: स्त्रोत व अनुदान)	00.00
4)	योग (2+3)	1332944.77
5)	अन्तर (4-1)	40074.80

(ग) रोकड़ बही का बैंक खातों से नियमानुसार मिलान न करने के कारण ₹0.40 लाख का अन्तर :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(3) व 10(1) के अनुसार पंचायत की रोकड़ बही के शेषों का बैंक खातों के शेष से मिलान करना अनिवार्य है। जबकि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ बही

व बैंक खातों का मिलान नहीं किया गया था, जिस कारण से दिनांक 31.03.24 को **निम्न विवरणानुसार** शीर्षों की रोकड़ बहियों एवं बैंक के अंतिम शेष में **₹40074.80** का भारी अन्तर पाया गया | अतः इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 691/2024 दिनांक 16/08/2024 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा अपने पत्र संख्या 48/2024 दिनांक 22/08/2024 द्वारा अवगत करवाया गया कि अंतर के कारणों बारे अभिलेख से पड़ताल करने उपरांत आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवा दिया जाएगा | अतः शीघ्र अपेक्षित कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

क्रम संख्या	रोकड़ बही का नाम	दिनांक 31.03.2024 को रोकड़ बही का अन्तशेष (₹)	दिनांक 31.03.2024 को बैंक व हस्तगत शेष का योग (₹)	अन्तर (₹)
1	2	3	4	5(4-3)
1	स्वः स्त्रोत व अनुदान (समेकित)	445469.26	449281.06	3811.80
2	15वें वित्तायोग	490579.00	526842.00	36263.00
			योग	40074.80

5 सावधिक निवेश :-

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 688/2024 दिनांक 16/08/2024 की अनुपालना में पंचायत सचिव द्वारा अपने पत्र संख्या 46/2024 दिनांक 22/08/2024 द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार पंचायत का अवधि 04/22 से 03/24 तक सावधि जमा योजना में निवेश शून्य था | अतः पंचायत सचिव को परामर्श दिया जाता है कि स्वयं स्त्रोत तथा अनुदान से

सम्बन्धित रोकड़ बहियों का अलग-अलग रख-रखाव करके, स्वयं स्त्रोत में आवश्यकता से अधिक पड़ी राशि को हि० प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 11 के अनुसार सावधि जमा योजना में निवेशित किया जाना सुनिश्चित किया जाए ताकि ग्राम पंचायत को ब्याज के रूप में अतिरिक्त आय प्राप्त हो सके। अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

6 अनुदान

6.1 अनुदान ₹12.93 लाख उपयोग हेतु शेष :-

हि० प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 9 के अनुसार पंचायत द्वारा प्राप्त विभिन्न अनुदानों को फंडिंग एजेंसी के दिशा निर्देशों अनुसार व्यय किया जाना अपेक्षित है। पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अध्याचना संख्या 688/2024 दिनांक 16/08/2024 के प्रत्युत्तर में प्रस्तुत सूचना जोकि (परिशिष्ट क) पर सलग्न है, के अनुसार दिनांक 31.03.2024 तक अनुदान में (स्वः स्त्रोत सहित) प्राप्त राशियों में ₹1292869.97 की राशि उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय करना अपेक्षित है। अतः ऐसे अनुदान जिनकी विहित अवधि समाप्त हो चुकी हो, तो इसका कारण स्पष्ट करते हुए सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

6.2 अनुदानों के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान, व भत्ते) नियम 2002 के नियम 88 के अनुसार पंचायत को दिए गए अनुदानों का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जा सकता है, जिसके लिए अनुदान मंजूर किए गए हैं एवं उस अधिकारी को जिसने अनुदान मंजूर किए हैं, को उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। इस

सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 688/2024 दिनांक 16/08/2024 के प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा पत्र संख्या 46/2024 दिनांक 22/08/2024 द्वारा अवगत करवाया गया कि विभिन्न अनुदानों के व्यय के सम्बन्ध में उपयोगिता प्रमाण पत्र आगामी अंकेक्षण में जाँच हेतु प्रस्तुत कर दिए जाएंगे। अतः अपेक्षित कार्यवाही करके अनुपालना शीघ्र अंकेक्षण को दिखाई जाए।

6.3 अनुदान के आदेश / स्वीकृति पत्र की प्रति उपलब्ध न करवाना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, सकर्म, कराधान, व भत्ते) नियम 2002 के नियम 79 (2) के अनुसार पंचायत सचिव अंकेक्षण को अपेक्षित अभिलेख उपलब्ध करवाने हेतु जिम्मेदार होगा। अंकेक्षण अधियाचना संख्या 688/2024 दिनांक 16/08/2024 द्वारा मांगी गई सूचना के प्रतिउत्तर में अपने पत्र संख्या 46/2024 दिनांक 22/08/2024 द्वारा अवगत करवाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि में प्राप्त किए गए अनुदानों के आदेश / स्वीकृति पत्र पंचायत में प्राप्त नहीं हुए हैं तथा खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय द्वारा राशि प्राप्त होने के उपरान्त मौखिक रूप में अनुदानों के प्रयोजन बारे सूचित किया जाता है। यह एक अनुचित प्रक्रिया है क्योंकि लिखित रूप में अनुदान का प्रयोजन प्राप्त न होने के कारण अनुदानों के दुर्विनियोजन की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। अतः अनुदान के आदेश / स्वीकृति पत्र की प्रति उपलब्ध न होने के कारण यह ज्ञात नहीं हो सकता कि पंचायत द्वारा प्राप्त किए गए अनुदान किस उद्देश्य / कार्य विशेष के लिए प्राप्त किए गए थे। अतः उक्त आदेश / स्वीकृति पत्र खण्ड विकास अधिकारी के कार्यालय से प्राप्त करके अंकेक्षण में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

स्वयं स्त्रोत

7.1 पंचायत राजस्व की वसूली हेतु शेष :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 33 के अनुसार पंचायत को सम्पत्ति कर / गृहकर की वसूली करना

अपेक्षित था | पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्या 688/2024 दिनांक 16/08/2024 के क्रम संख्या 4 के प्रतिउत्तर में अपने पत्र संख्या 46/2024 दिनांक 22/08/2024 द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना का अवलोकन करने पर पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 31.03.2024 तक पंचायत राजस्व गृहकर राशि शून्य **(परिशिष्ट ख अनुसार)** वसूली हेतु शेष थी।

7.2 विवाह पंजीकरण शुल्क की राशि ₹0.07 लाख को सरकारी कोष में जमा न करवाना:-

सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, हिमाचल प्रदेश की अधिसूचना संख्या-SJE-A-A-(3)-1/2015 दिनांक 04.10.16 के अंतर्गत विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में ₹200 प्रति पंजीकरण तथा देरी के लिए दुगुनी दर से पंजीकरण शुल्क प्राप्त किया जाना निर्धारित है जिसे समय- समय पर वसूल करने के उपरान्त हि० प्र० विवाह पंजीकरण नियम, 2004 के नियम 9 के अनुसार राजकीय कोष में निर्धारित लेखा शीर्ष 0070-60-108-01 में जमा करवाया जाना अपेक्षित है। लेकिन अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 व 2023-24 के दौरान विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में **(सलग्न परिशिष्ट ग अनुसार)** वसूली गई राशि **₹6800** को सरकारी कोष में जमा नहीं करवाया गया था जिसका विवरण नीचे भी दिया गया है :-

क्रम संख्या	वित्तीय वर्ष	विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई राशि (₹)
1	2022-23	2400
2	2023-24	4400
	योग	6800

अतः इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 697/2024 दिनांक 20/08/2024 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा अपने पत्र संख्या 48/2024 दिनांक 22/08/2024 द्वारा स्पष्ट किया कि विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई राशि को सरकारी कोष में जमा करवा दिया जाएगा। अतः विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई सम्पूर्ण राशि को शीघ्र अति शीघ्र सरकारी कोष में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

7.3 विवाह पंजीकरण शुल्क ₹0.02 लाख की कम वसूली करना :-

सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, हिमाचल प्रदेश की अधिसूचना संख्या- SJE-A-A-(3)-1/2015 दिनांक 04.10.16 के अंतर्गत विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में ₹200 प्रति पंजीकरण तथा देरी के लिए दुगुनी दर से पंजीकरण शुल्क प्राप्त की जानी निर्धारित है जिसे समय- समय पर वसूल करने के उपरान्त हि० प्र० विवाह पंजीकरण नियम, 2004 के नियम 9 के अनुसार राजकीय कोष में निर्धारित लेखा शीर्ष 0070-60-108-01 में जमा करवाया जाना अपेक्षित है। लेकिन अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 व 2023-24 के दौरान **सलग्न परिशिष्ट ग में** वर्णित मामलों में विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में निर्धारित दरों से **₹2200** की कम वसूली की गई थी :-

क्रम संख्या	वित्तीय वर्ष	विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली हेतु शेष राशि (₹)
1	2022-23	800
2	2023-24	1400
	योग	2200

अतः इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 698/2024 दिनांक 20/08/2024 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा अपने पत्र संख्या 48/2024 दिनांक 22/08/2024 द्वारा स्पष्ट किया कि विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में कम वसूल की गई राशि की वसूली सम्बन्धित से करके, राजकीय कोष के मद 0070-60-108-01 में जमा करवा दी जाएगी। अतः विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में कम वसूल की गई राशि की वसूली शीघ्र अति शीघ्र करके सरकारी कोष में जमा करवाई जानी सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

8.1 ₹2.31 लाख की निर्माण सामग्री का अनियमित क्रय :-

सचिव (RD & PR) हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र संख्या No. PCH-HC(10)FFC-Misc-60819-978 दिनांक 13.11.2018 द्वारा जारी दिशा-निर्देशों अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण सामग्री पेवर ब्लॉक्स तथा टाइल्स का क्रय हिमाचल प्रदेश सरकार के भण्डार नियन्त्रण के Rate Contract अथवा GeM Portel से किया जाना अपेक्षित था तथा यदि उक्त निर्माण सामग्री हिमाचल प्रदेश सरकार के भण्डार नियन्त्रण के Rate Contract अथवा GeM Portel से उपलब्ध नहीं होती है, तो पंचायत द्वारा उक्त निर्माण सामग्री का क्रय खुले बाजार से निविदाएँ आमंत्रित करके किया जा सकता है। परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा चयनित माह 06/2023 में ₹231489.50 की निर्माण सामग्री पेवर ब्लॉक्स तथा टाइल्स का क्रय हि० प्र० सरकार के भण्डार नियन्त्रण के Rate Contract अथवा GeM Portel से अनुपलब्धता सुनिश्चित किए बिना ही खुले बाजार से निविदाएँ आमंत्रित करके किया गया था। इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 699/2024 दिनांक 20/08/2024 के प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा पत्र संख्या 48/2024 दिनांक 22/08/2024 द्वारा सूचित किया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि दौरान पेवर ब्लॉक्स का क्रय खुले बाजार से मात्र तीन नंबर निविदाएँ आमंत्रित करके किया गया था, जबकि यह क्रय उपरोक्त निर्देशों के अनुसार किया जाना वांछित था तथा भविष्य में

उपरोक्त वर्णित पत्रानुसार जारी निर्देशों के अनुसार पेवर ब्लॉक्स तथा टाइल्स के क्रय हेतु कार्यवाही अमल में लाई जाएगी | अतः उक्त व्यय को सक्षम प्राधिकारी से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही पेवर ब्लॉक्स तथा टाइल्स का क्रय करना सुनिश्चित करें :-

क्रम संख्या	मद	वाउचर संख्या	माह	बिल संख्या	दिनांक	विवरण	राशि(18 % GST सहित)
1	मनरेगा	शून्य	06/23	437	30/12/2022	3000 टाइल / पेवर @ 12.862 प्रति पेवर	38582.5
2	मनरेगा	शून्य	06/23	438	30/12/2022	3000 टाइल / पेवर @ 12.862 प्रति पेवर	38582.5
3	मनरेगा	शून्य	06/23	439	30/12/2012	3000 टाइल / पेवर @ 12.862 प्रति पेवर	38582.5
4	मनरेगा	शून्य	06/23	440	30/12/2022	1500 टाइल / पेवर @ 12.862 प्रति पेवर	19288.5
5	मनरेगा	शून्य	06/23	441	02/10/2023	3000 टाइल / पेवर @ 12.862 प्रति पेवर	38582.5
6	मनरेगा	शून्य	06/23	442	02/10/2023	3000 टाइल / पेवर @ 12.862 प्रति पेवर	38582.5
7	मनरेगा	शून्य	06/23	443	02/10/2023	1500 टाइल / पेवर @ 12.862 प्रति पेवर	19288.5
						योग	231489.5

8.2 औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ₹2.27 लाख की निर्माण सामग्री का क्रय करना:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(4) व 67(5) द्वारा स्टॉक / स्टोर का क्रय करने की औपचारिकताएं प्रावधित हैं। व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत पंचायत द्वारा सलग्ग परिशिष्ट घ अनुसार ₹226832 की सामग्री का क्रय निविदाएँ आमंत्रित किए बिना ही किया गया था, जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 705/2024 दिनांक 21/08/2024 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा अपने पत्र संख्या 48/2024 दिनांक 22/08/2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त पत्र में वर्णित अनियमितता को भविष्य में नहीं दोहराया जाएगा। उत्तर संतोषजनक नहीं है क्योंकि उक्त क्रय के सन्दर्भ में किया गया भुगतान नियमों के विपरीत है। अतः उक्त व्यय को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए। सचिव को परामर्श दिया जाता है कि भविष्य में नियमानुसार ही सामग्री का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

8.3 ₹2.19 लाख सामग्री की स्टॉक प्रविष्टियाँ न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 69 और 72 के अनुसार स्टॉक रजिस्टर का रख-रखाव व स्टोर / स्टॉक की प्राप्ति व खपत सम्बन्धी अभिलेख तैयार किया जाना अपेक्षित है। परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि 04/22 से 03/24 के चयनित माह 06/2022 व 06/2023 में सलग्ग परिशिष्ट "ड." अनुसार ₹218667 की सामग्री का क्रय किया गया था, लेकिन उक्त क्रय किए गए सामान की स्टॉक रजिस्ट्रों में स्टॉक प्राप्ति प्रविष्टियाँ व खपत / जारी करने से सम्बन्धित अभिलेख दर्ज नहीं था। उपरोक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या 703/2024 दिनांक 21/08/2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत के ध्यानार्थ लाया गया।

प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा अपने पत्र संख्या 48/2024 दिनांक 22/08/2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त स्टॉक प्रविष्टियाँ स्टॉक रजिस्टर में कर ली जाएगी | अतः वांछित अभिलेख तैयार न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व उक्त सम्पूर्ण क्रय की गई सामग्री की सम्बन्धित स्टॉक रजिस्ट्रों में स्टॉक प्राप्ति प्रविष्टियाँ व खपत से सम्बन्धित अभिलेख तैयार करने के उपरांत सत्यापनार्थ हेतु अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए |

8.4 तकनीकी मूल्यांकन के बिना ₹1.97 लाख की मजदूरी का भुगतान :-

प्रधान सचिव (ग्रा० वि० एवं प० रा०) हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र संख्या : एस एम एस -17 /2002 – आर डी डी (जी आर एस) दिनांक 22.09.2009 के द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार तकनीकी सहायक / कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा कार्य के मूल्यांकन करने के पश्चात ही पंचायत द्वारा भुगतान किया जाएगा | लेकिन व्यय के अवलोकन पर पाया गया कि मनरेगा शीर्ष के अंतर्गत **सलग्र परिशिष्ट “च” में वर्णित** मस्ट्रोलों के अन्तर्गत भुगतान की गई **₹196976** की मजदूरी की माप पुस्तिका में मूल्यांकन / कार्य प्रगति की प्रविष्टियाँ दर्ज नहीं थी | उक्त अनियमितता का प्रकरण अंकेक्षण अध्याचना संख्या 707/2024 दिनांक 21/08/2024 के अन्तर्गत सचिव, ग्राम पंचायत के ध्यानार्थ लाया गया | प्रत्युत्तर में सचिव, ग्राम पंचायत के पत्र संख्या 48/2024 दिनांक 22/08/2024 द्वारा स्पष्ट किया कि माप पुस्तिकाओं में मूल्यांकन करवा दिया जाएगा | अतः माप पुस्तिका में मूल्यांकन के बिना मजदूरी का भुगतान करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व शीघ्र अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए | भविष्य में विकास कार्यों का मूल्यांकन उपरान्त ही मजदूरी का भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जाए |

8.5 आपूर्तिकर्ता के बिलों से ₹0.88 लाख रॉयल्टी की कटौती न करना :-

हिमाचल प्रदेश माइनर मिनरल्स नियम 2015 के नियम 81 व 81-ए के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा खनन सामग्री की आपूर्ति करने पर अधिकृत माइनिंग लीज होल्डर द्वारा जारी व माइनिंग अधिकारी या अन्य प्राधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित ट्रांजिट पास “फार्म

डब्ल्यू" या सप्लीमेंटरी पास "फार्म एक्स" उपलब्ध करवाना अनिवार्य है अन्यथा उक्त नियम की द्वितीय अनुसूची के अनुसार निम्न दरों से रॉयल्टी का भुगतान 25% पेनल्टी के साथ करना होगा। परन्तु निदेशक, पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या एक्स ई.एन. (आर.डी.एवं पी. आर.)-डी.बी. जनरल/2023-1/204192/2023-34307-30 दिनांक 02.11.2023 के अनुसार माननीय उच्च न्यायालय हि० प्र० की अनुपालना में अब ठेकेदार / विक्रेता से खनन सामग्री की आपूर्ति पर रॉयल्टी की कटौती नहीं की जाएगी तथा भुगतान उनके द्वारा फार्म 'एक्स' या 'डब्ल्यू' प्रस्तुत करने पर ही किया जाएगा।

अंकेक्षण के दौरान चयनित माह 06/2022 व 06/2023 के व्यय वाउचरों की जाँच दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा आपूर्तिकर्ता से खनन सामग्री जैसे पत्थर, रेत, बजरी इत्यादि की आपूर्ति पर उक्त ट्रांजिट पास अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किए गए। परिणामस्वरूप आपूर्तिकर्ता को सलग्न परिशिष्ट "छ" अनुसार ₹88122 का अनियमित भुगतान किया गया। इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अध्याचना संख्या 700/2024 दिनांक 20/08/2024 के प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा पत्र संख्या 48/2024 दिनांक 22/08/2024 द्वारा सूचित किया गया कि उक्त पत्र में वर्णित रॉयल्टी की कटौती नहीं की गई है जिसे भविष्य में रॉयल्टी नियमानुसार काटी जाएगी अथवा ट्रांजिट पास फार्म लिया जाएगा। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि ट्रांजिट पास की अनुपस्थिति में आपूर्तिकर्ता को खनन सामग्री का भुगतान रॉयल्टी की कटौती 25% पेनल्टी सहित करने के पश्चात किया जाना अपेक्षित था।

अतः ₹88122 की रॉयल्टी की कटौती न करके किये गये अनियमित भुगतान से सम्बन्धित मामला जिला के खनन अधिकारी से उठाया जाए व तदनुसार इसकी वसूली उचित स्रोत से करके हिमाचल प्रदेश सरकार के आय लेखा शीर्षक: "0853-Non Ferrous Mining and Metallurgical Industries, 102-Mineral Concession Fees and Royalties, 81-Other receipts" में जमा करवाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

8.6 आपूर्तिकर्ता के भुगतान बिलों से स्त्रोत पर ₹0.22 लाख की जी.एस.टी. टी.डी.एस. की कटौती न करना :-

हिमाचल प्रदेश जी.एस.टी. अधिनियम, 2017 की धारा 51 तथा हि.प्र. आवकारी एवं कराधान विभाग के पत्र संख्या 12-4/78 EXN-TAX-Part(278/25)-29056 दिनांक 29/09/2018 के अनुसार किसी भी व्यक्ति / फर्म / संस्था / स्थानीय प्राधिकरण अथवा सरकारी विभाग (Person/HUF/Firm/Local authority / Govt. Deductor) द्वारा संविदाकार व्यक्ति, फर्म को सेवाएं तथा वस्तुएं प्रदान करने के बदले एक वित्तीय वर्ष में ₹250000 से अधिक राशि के भुगतान पर 2% (1% सी.जी.एस.टी. + 1% एस.जी.एस.टी.-अन्तर्राज्यीय आपूर्ति तथा 2% आई.जी.एस.टी.-अन्तर्राज्यीय आपूर्ति) की दर से जी.एस.टी. टी.डी.एस. की कटौती सम्बन्धित व्यक्ति / फर्म / संविदाकार को नगद अथवा बैंक खाते में अदायगी के समय की जानी अपेक्षित है तथा उक्त कटौती की राशि को अगले माह 10 तारीख से पहले सम्बन्धित विभाग में जमा करवाया जाना अपेक्षित है। परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 व 2023-24 के चयनित माह 06/22 व 06/2023 में आपूर्तिकर्ता को सामग्री की आपूर्ति के लिए परिशिष्ट "ज" पर उपलब्ध करवाई गई सूचना अनुसार ₹1088363 (जी.एस.टी. को छोड़कर) भुगतान किया गया था। लेकिन ग्राम पंचायत द्वारा स्त्रोत पर ₹21767.26 की 2% जी.एस.टी. टी.डी.एस. के रूप में कटौती नहीं की गई थी जोकि नियमानुसार अनुचित प्रक्रिया है।

क्रम संख्या	वित्तीय वर्ष	फर्म / व्यक्ति का नाम	क्रय सामान का विवरण	राशि (₹)	योग (₹)	जी.एस.टी.टी.डी.एस. की कटौती योग्य राशि (₹)
1	2022-23	Sanjeev Hardware	Sand, agg. etc	809890	809890	16197.80 (2% x809890)

		store Raipur				
2	2023-24	Rekha devi VPO Raipur	Sand, agg. etc	278473	278473	5569.46 (2% x 278473)
				योग	1088363	21767.26

अतः इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 711/2024 दिनांक 21/08/2024 के प्रत्युत्तर में पत्र संख्या 48/2024 दिनांक 22/08/2024 द्वारा अंकेक्षण में स्पष्ट किया गया कि उक्त पत्र में वर्णित **₹2,17,67,26** जी.एस.टी. टी.डी.एस. की कटौती बिलों में से नहीं की गई है, जिसे भविष्य में नियमानुसार काटा जाएगा। उत्तर संतोषजनक नहीं है। अतः जी.एस.टी. टी.डी.एस. की कटौती न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व अपेक्षित राशि की वसूली सम्बन्धित फर्मों / व्यक्तियों से करने उपरान्त सम्पूर्ण राशि सम्बन्धित विभाग में जमा करवाई जाए। अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

9.1 निर्माण सामग्री को खपत से अधिक जारी करने के कारण ₹0.58 लाख का अनियमित भुगतान करना :-

ग्राम पंचायत के अंकेक्षण अवधि 04/22 से 03/24 के चयनित माह 06/2022 में मनरेगा शीर्ष के अन्तर्गत करवाए गए सलग्र परिशिष्ट "झ" में वर्णित निर्माण कार्यों के अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि माप पुस्तिकाओं में निर्माण सामग्री (रेत व बजरी) का निष्पादन कम किया गया दर्शाया गया था, जबकि इन कार्यों के लिए निर्माण सामग्री अधिक जारी कि गई थी तथा शेष बची हुई सामग्री को सामग्री स्टॉक रजिस्टर में भी वापिस नहीं लिया गया था। इस प्रकार ग्राम पंचायत द्वारा सामग्री को खपत से अधिक जारी करने के

कारण **₹57689.86** का अधिक भुगतान किया गया था। उक्त अनियमितता का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या 712/2024 दिनांक 22/08/2024 के अन्तर्गत सचिव ग्राम पंचायत के ध्यानार्थ लाया गया। प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव द्वारा अपने पत्र संख्या 49/2024 दिनांक 22/08/2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त पत्र में वर्णित अधिक भुगतान के सन्दर्भ में उचित कार्यवाही अमल में लाकर अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवा दिया जाएगा। अतः कृत कार्यवाही उपरान्त अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

9.2 मनरेगा मद के अंतर्गत ₹0.11 लाख का अधिक भुगतान करना :-

ग्राम पंचायत के अंकेक्षण अवधि 04/22 से 03/24 के चयनित माह 06/2022 में व्यय वाउचरों के अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि मनरेगा शीर्ष के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रास्तों के निर्माण कार्यों हेतु प्रयोग की गई निर्माण सामग्री सीमेंट की ढुलाई हेतु वित्तीय वर्ष 2021-22 में व्यय निविदायें आमंत्रित करके किया गया था, जिसमें विजय कुमार गांव घरबासडा व संजीव कुमार सपुत्र प्रकाश चन्द से सीमेंट की ढुलाई हेतु **₹20** प्रति बैग की दर से न्यूनतम दर की निविदा प्राप्त हुई थी, परन्तु पंचायत द्वारा संजीव हार्डवेयर स्टोर को **₹30** प्रति बैग की दर से अर्थात् **₹10** प्रति बैग की दर से अधिक भुगतान किया गया। इस प्रकार उक्त व्यक्ति को **निम्न विवरनानुसार ₹10600** का अधिक भुगतान किया गया था। अतः इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 709/2024 दिनांक 21/08/2024 के प्रत्युत्तर में पत्र संख्या 48/2024 दिनांक 22/08/2024 द्वारा अंकेक्षण में स्पष्ट किया गया कि अधिक भुगतान की गई राशि के सन्दर्भ में उचित कार्यवाही अमल में लाकर अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवा दिया जाएगा।

1	2	3	4	5	6	7	8 (4×7)
क्रम संख्या	बिल संख्या	माह	मात्रा (बैग)	भुगतान योग्य दर (₹) प्रति बैग	भुगतान की गई दर (₹) प्रति बैग	अन्तर (₹)	अधिक भुगतान की गई राशि (₹)
1	301	06/22	370	20	30	10	3700
2	305	06/22	245	20	30	10	2450
3	320	06/22	70	20	30	10	700
4	310	06/22	120	20	30	10	1200
5	304	06/22	255	20	30	10	2550
						योग	10600

9.3 मनरेगा मद के अंतर्गत ₹0.11 लाख का अधिक भुगतान करना :-

ग्राम पंचायत द्वारा मनरेगा के अंतर्गत व्यक्तिगत लाभार्थी के कार्यों के सम्बन्ध में स्वयं लाभार्थी को सामग्री का क्रय करना होगा। इस सम्बन्ध में निदेशक एवं आयुक्त मनरेगा ग्रामीण विकास विभाग के पत्र संख्या SMS-1/2021-22-RDD-Implementation-MGNREGA-5684-5808 दिनांक 25.05.2022 के अनुसार The amount of material component which is to be reimbursed in the account of individual beneficiaries shall be restricted to the maximum of 40% of the actual total cost of the work by applying the following formula : **Actual unskilled labour cost × 2/3 = Material Cost** परन्तु उक्त नियम की अवहेलना करते हुए निम्न विवरणानुसार सामग्री के रूप में ₹10510 का अधिक भुगतान किया गया

था। इस संदर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 710/2024 दिनांक 21/08/2024 के प्रत्युत्तर में अपने पत्र संख्या 48/2024 दिनांक 22/08/2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि अधिक भुगतान की गई राशि के संदर्भ में उचित कार्यवाही अमल में लाकर अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवा दिया जाएगा।

क्रम संख्या	निर्माण कार्य का नाम	सामग्री की लागत / व्यय योग्य राशि	लाभार्थी को व्यय राशि (₹)	लाभार्थी को भुगतान योग्य राशि (₹)	लाभार्थी को अधिक भुगतान राशि (₹)
1	C/O RWHT Ajay Kumar	(मस्ट्रोल संख्या 91, 5519, 5892, 6116 व 6654) (424+5300+9116+12508+14840= 42188 × 2/3 = 28125)	38635	28125	10510
				योग	10510

9.4 निर्माण सामग्री से ₹0.02 लाख के वॉइड्स (voids) की कटौती न करना :-

हि0प्र0 पब्लिक वर्क्स स्पेसिफिकेशन 2.1.2.13 के अनुसार बजरी की आपूर्ति पर 6 एम0एम0 से लेकर 20 एम0एम0 तक 5% व 25 एम0एम0 से लेकर 40 एम0एम0 तक 10% तथा पत्थरों की आपूर्ति पर 63 एम0एम0 से लेकर 75 एम0एम0 तक 12.5% की दर से वॉइड्स (Voids) की कटौती उपरान्त भुगतान किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत के अंकेक्षण अवधि 04/22 से 03/24 के चयनित माह 06/2022 में मनरेगा शीर्ष से किए गए व्यय के अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा संजीव हार्डवेयर स्टोर रायपुर को 12 घन मीटर पत्थर की खरीद हेतु **₹1312.50** प्रति घन मीटर की दर से **₹15750** का भुगतान किया गया, लेकिन उक्त व्यक्ति को भुगतान करने से पूर्व Voids की 12.5 % की कटौती न करने के कारण **₹1968.75 (15750×12.5%)** का अधिक भुगतान किया गया। अतः इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अध्याचना संख्या 708/2024 दिनांक 21/08/2024 के प्रत्युत्तर में पत्र संख्या 48/2024 दिनांक 22/08/2024 द्वारा अंकेक्षण में स्पष्ट किया गया कि अधिक भुगतान की गई राशि के सन्दर्भ में उचित कार्यवाही अमल में लाकर अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवा दिया जाएगा।

क्रम संख्या	बिल संख्या	माह	फर्म/ व्यक्ति का नाम	सामग्री	मात्रा (घन मीटर)	दर (प्रति घन मीटर)	राशि (₹)
1	271 09.01.22	06/22	Sanjeev Hardware store raipur	पत्थर	12	1312.50	15750

10.1 ₹7.40 लाख के कार्यों से सम्बन्धित प्रस्ताव, प्राक्कलन, प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम, 2002 के नियम 79 (2) के अनुसार पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण को पंचायत लेखों से

सम्बन्धित उपयुक्त अभिलेख प्रस्तुत करना अपेक्षित है। इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 706/2024 दिनांक 21/08/2024 द्वारा पंचायत सचिव से **₹740171.10 के निम्न विवरणानुसार** कार्यों से सम्बन्धित अभिलेख जैसे कि प्रस्ताव संख्या, प्राक्कलन, तकनीकी व प्रशासनिक स्वीकृति, 34 नंबर फॉर्म को अंकेक्षण में प्रस्तुत करने की मांग की गई, जिसके प्रत्युत्तर में अपने पत्र संख्या 48/2024 दिनांक 22/08/2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त पत्र में वर्णित कार्यों से सम्बन्धित अभिलेख जाँच हेतु आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दिए जाएंगे। उत्तर संतोषजनक नहीं है, क्योंकि नियमानुसार अंकेक्षण में अभिलेख प्रस्तुत न करना अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः अपेक्षित अभिलेख शीघ्र अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाए।

क्रम संख्या	मद का नाम	माह	निर्माण कार्य का नाम	चयनित माह में भुगतान की गई राशि (₹)
1	Own & GIA (Consolidated)	06/23	खाता निर्माण लिंक रोड पंजोयरी से आवादी संजय कुमार	111617
2	MNREGA	06/22	C/o Channelization nala land of amar chand, Baldev etc	160087.50
3	MNREGA	06/23	C/O Ambulance Road / Pully near shiv mandir se ravi dutt ke ghar tak	36736
4	MNREGA	06/23	C/O Ambulance road main road se vijay kumar ke ghar tak	200146.32

5	MNREGA	06/23	C/o Ambulance road H/o jagdish chand se vill Kolka	231584.28
			योग	740171.1

10.2 ₹2.93 लाख के व्यय के समर्थन में माप पुस्तिकाएं अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम, 2002 के नियम 79 (2) के अनुसार पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण को पंचायत लेखों से सम्बन्धित उपयुक्त अभिलेख प्रस्तुत करना अपेक्षित है। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा चयनित माह 06/2022 व 06/2023 में **सलग्न परिशिष्ट ज** में वर्णित कार्यों हेतु प्रयोग की गई सामग्री के लिए बिलों के अन्तर्गत **₹293311.40** का भुगतान किया गया था। उपरोक्त उल्लेखित कार्यों से सम्बन्धित माप पुस्तिकाएं अंकेक्षण अध्याचना संख्या 702/2024 दिनांक 20/08/2024 द्वारा सत्यापना हेतु अंकेक्षण में प्रस्तुत करने की मांग की गई, जिसके प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा अपने पत्र संख्या 48/2024 दिनांक 22/08/2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि उक्त कार्यों से सम्बन्धित माप पुस्तिकाएं सत्यापना हेतु आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दी जाएगी। अंकेक्षण में अभिलेख प्रस्तुत न करना अनियमित व आपत्तिजनक है। परिणामस्वरूप किए गए कार्य के मूल्यांकन की जांच नहीं हो सकी। अतः अपेक्षित अभिलेख शीघ्र अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाए।

10.3 ₹2.24 लाख के मूल बिल अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम, 2002 के नियम 79 (2) के अनुसार पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण को पंचायत लेखों से सम्बन्धित उपयुक्त अभिलेख प्रस्तुत करना अपेक्षित है। इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अध्याचना संख्या 704/2024 दिनांक 21/08/2024 द्वारा पंचायत सचिव से

₹224197.60 का निम्न विवरणानुसार कार्य से सम्बन्धित मूल बिल को अंकेक्षण में प्रस्तुत करने की मांग की गई, जिसके प्रत्युत्तर में अपने पत्र संख्या 48/2024 दिनांक 22/08/2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त पत्र में वर्णित कार्य में प्रयोग की गई सामग्री से सम्बन्धित मूल बिल को ढूंढकर सत्यापना हेतु आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दिया जाएगा। उत्तर संतोषजनक नहीं है, क्योंकि नियमानुसार अंकेक्षण में अभिलेख प्रस्तुत न करना अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः अपेक्षित अभिलेख शीघ्र अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाए।

क्रम संख्या	शीर्ष का नाम	वाउचर संख्या / माह	कार्य का नाम	आपूर्तिकर्ता का नाम	सामग्री	राशि (₹)
1	MNREGA	06/22	C/o Link road main road se Kangu aali	HP Civil Supply Bangana	Cement Bill no 44469	113634.40
2	MNREGA	06/22	C/O Pully / LR Balvinder Singh	HP Civil Supply Bangana	Cement Bill no 44469	73708.80
3	MNREGA	06/22	C/O Link road main road se mata santoshi mandir	HP Civil Supply Bangana	Cement Bill no 44469	36854.40
					योग	224197.60

10.4 उचित बिलों के बिना ₹0.14 लाख का भुगतान करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम, 2002 के नियम 47 (2) के अनुसार दावाकर्ता को अपने दावे उचित बिल पर प्रस्तुत करना अपेक्षित है। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि सचिव द्वारा चयनित माह 06/22 व 06/23 में निम्न विवरणानुसार ₹13884 का व्यय उचित बिल प्राप्त न करके केवल कोरे कागज पर बिल बनाकर भुगतान किया गया था, जोकि नियमानुसार उचित नहीं है। उक्त अनियमितता का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या 701/2024 दिनांक 20/08/2024 के अन्तर्गत सचिव, ग्राम पंचायत रायपुर मैदान के ध्यानार्थ लाया गया। प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा अपने पत्र संख्या 48/2024 दिनांक 22/08/2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि सम्बन्धित व्यक्तियों से उचित बिल प्राप्त कर लिए जाएंगे। अतः उक्त व्यक्तियों से उचित बिल प्राप्त न करके केवल कोरे कागज पर बिल बनाकर भुगतान करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व सम्बन्धित व्यक्तियों से उचित बिल प्राप्त किए जाने सुनिश्चित किए जाएँ। अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

क्रम संख्या	शीर्ष का नाम	वाउचर संख्या	फर्म / व्यक्ति का नाम एवं पता	क्रय सामान का विवरण	राशि (₹)
1	Own & GIA (Consolidated)	-- 23.05.23	कृष्णा देवी गांव रायपुर	चायपान	2200
2	Own & GIA (Consolidated)	-- 30.06.22	भुल्ला राम सपुत्र लखु राम	खच्चरों से ढुलाई	11684
				योग	13884

11 विहित रजिस्ट्रों का रख-रखाव न करना :-

अंकेक्षण अध्याचना संख्या 689/2024 दिनांक 16/08/2024 द्वारा पंचायत सचिव से निम्न रजिस्ट्रों / अभिलेखों को अंकेक्षण में प्रस्तुत करने की मांग की, जिसे हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के अंतर्गत बनाया जाना वांछित था। प्रतिउत्तर में सचिव, द्वारा अपने पत्र संख्या 47/2024 दिनांक 22/08/2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि पंचायत द्वारा इन रजिस्ट्रों / अभिलेखों का रख-रखाव नहीं किया जा रहा है। यह अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्ट्रों का रख-रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

क्रम संख्या	रजिस्टर / अभिलेख	फार्म संख्या	संदर्भित नियम
1	अस्थाई अग्रिम रजिस्टर	9	30
2	विभिन्न अनुदानों के लेजर खाते	7	29(1)
3	गृहकर मांग एवं प्राप्ति रजिस्टर	10	33 व 77(4)
4	बजट प्राकलन	11	37
5	अनुदान रजिस्टर	21	61(1)
6	डाक टिकट रजिस्टर	24	61(1)
7	स्थाई एवं अस्थाई भण्डार रजिस्टर	25 व 26	72(1)
8	निर्माण कार्यों की तकनीकी स्वीकृति का रजिस्टर	31	95(1)
9	गृहकर मांग व संग्रहण रजिस्टर		33 व 77
9	बैंक समाधान विवरणी	--	7 (3) व 10 (1)
10	निर्माण कार्यों का रजिस्टर	--	103

12 प्रत्यक्ष सत्यापन:-

अंकेक्षण अध्याचना संख्या 688/2024 दिनांक 16/08/2024 के क्रम संख्या 7 की अनुपालना में अपने पत्र संख्या 46/2024 दिनांक 22/08/2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि अंकेक्षण अवधि 04/22 से 03/24 तक स्टोर / स्टॉक का भौतिक

सत्यापन ग्राम पंचायत द्वारा नहीं करवाया गया है, जबकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अंतर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है। अतः इस सन्दर्भ में आपको परामर्श दिया जाता है कि अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर अंकेक्षण पर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

13 लघु आपत्ति विवरणिका:- इसे अलग से जारी नहीं किया गया है।

14 निष्कर्ष:- लेखाओं में सुधार की अत्यधिक आवश्यकता है।

o/c

4708 - 4712

01 OCT 2024

(मनजीत भाटिया)
सहायक निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला-171009
दूरभाष-0177-2620046

पृष्ठांकन संख्या: फिन(एल0ए0)एच(पंच)(xv)(5)111 / 2024-खण्ड-1 दिनांक, शिमला-09,

प्रतिलिपि: निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कुसुम्पटी शिमला-171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर एक माह के भीतर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
- 2 उप सचिव एवं समिति अधिकारी स्थानीय निधि लेखा समिति हि0प्र0 विधानसभा शिमला-4 को सूचनार्थ प्रेषित है।
- 3 जिला पंचायत अधिकारी ऊना, जिला ऊना, हि0प्र0।
- 4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड बंगाणा, जिला ऊना (हि0प्र0)।
- 5 सचिव, ग्राम पंचायत रायपुर मैदान, विकास खण्ड बंगाणा, जिला ऊना (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

संजीकृत

o/c

01 OCT 2024

(मनजीत भाटिया)
सहायक निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला-171009
दूरभाष-0177-2620046

परिशिष्ट "क"

पैरा संख्या 4 में संदर्भित

ग्राम पंचायत रायपुर मैदान, विकास खण्ड बंगाणा व जिला ऊना हिमाचल प्रदेश

संकलित वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2022 से 31.03.2024 तक

1	2	3	4	5	6	7
क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय व्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
1	2022-23	1298162.32	8661833.61	9959995.93	7852316.67	2107679.26
2	2023-24	2107679.26	7295230.93	9402910.19	8110040.22	1292869.97

सांचव, ग्राम पंचायत रायपुर
बंगाणा जिला ऊना (हिमाचल)

- 28

ग्राम पंचायत रायपुर मैदान, विकास खण्ड बंगाणा व जिला ऊना हिमाचल प्रदेश

स्वयं स्रोत व अनुदान (समीकित) Offline की वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2022 से 31.03.2024 तक						
1	2	3	4	5	6	7
क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
1	2022-23	648253.92	1592541	2240794.92	1526746.66	714048.26
2	2023-24	714048.26	1735477	2449525.26	2004056	445469.26

स्वच्छ भारत मिशन 2022-23(PFMS Online), 2023-24 (Offline) की वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2022 से 31.03.2024 तक						
क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
1	2022-23	0	210000	210000	210000	0
2	2023-24	0	73082	73082	12000	61082

15वां वित्तायोग Online की वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2022 से 31.03.2024 तक						
क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
1	2022-23	369756	1585343	1955099	849237	1105862
2	2023-24	1105862	233899	1339761	849182	490579

मन्रेगा (Online) की वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2022 से 31.03.2024 तक						
क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
1	2022-23	0	5266297.61	5266297.61	5266297.61	0
2	2023-24	0	5244801.93	5244801.93	5244801.93	0

29

ml

सचिव, ग्राम पंचायत रायपुर
 वि.प. बंगाणा, जिला ऊना (हिमाचल)

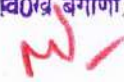
IWMP (Public Share) (Offline) की वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2022 से 31.03.2024 तक					
क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	अंतिम शेष(5-6)
1	2022-23	279861.30	7644	287505.3	35.40
2	2023-24	287469.9	7963	295432.9	0.29

14वां वित्तायोग Offline की वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2022 से 31.03.2024 तक					
क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय
1	2022-23	291.1	8	299.1	0.00
2	2023-24	299.1	8	307.1	0

सहायक, ग्राम पञ्चायत रायपुर
द्वारा बगल जिला कुन्या दिनांक 20/04/24

30

1)	दिनांक 31.03.24 को रोकड़ बही खाता पैरा 4(क) का अंतशेष	1292869.97
2)	दिनांक 31.03.24 को बैंक का अन्तशेष (परिशिष्ट क-1)	1332944.77
3)	दिनांक 31.03.24 को हस्तगत राशि	00.00
4)	योग (2+3)	1332944.77
5)	अन्तर (1-4)	40074.80


 सचिव, ग्रामिण प्रसाधन रायपुर
 बिछम बगाना जिला ऊना (डिप्टी)


20

20

परिशिष्ट क-1

पैरा संख्या 4 में संदर्भित

दिनांक 31.03.24 को बैंक शेष व हस्तगत राशि का अंतशेष का विवरण निम्नानुसार है:-

क्रम संख्या	बैंक का नाम	खाता संख्या	राशि (₹)
1	KCCB Raipur (OWN & GIA)	20055025466	138320.00
	KCCB Raipur (SBM)	50076202203	61082.00
	PNB Raipur (OWN & GIA)	2136000100016239	305327.26
	PNB Raipur (15 th Fc)	2136000100080225	526842.00
	PNB Raipur (IWMP Cont. Share)	2136000100065059	295432.61
	PNB Raipur (14 th Fc)	2136000100077319	307.10
	HP Gramin BANK BIHRU (BMC)	88710100004389	0.00
	Post Office Raipur	6040516859	5633.80
		योग	1332944.77
2		हस्तगत राशि (स्वः स्त्रोत व अनुदान)	00.00
		योग (1+2)	1332944.77

सचिव, ग्राम पंचायत रायेपुर
वि.स. बगाना, जिला ऊना (300801)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 84

[illegible]

ग्राम पंचायत रायपुर मैदान, विकास खण्ड बंगाणा, जिला ऊना हि.प्र.

दिनांक 01.04.2022 से 31.03.2024 तक गृहकर की वसूली हेतु शेष राशि का विवरण :-

| वर्ष | प्रारम्भिक शेष (₹) | मांग (₹) | योग (₹) | प्राप्ति (₹) | वसूली हेतु शेष राशि (₹) |
|---------|--------------------|----------|---------|--------------|-------------------------|
| 2022-23 | 0 | 27100 | 27100 | 27100 | 00 |
| 2023-24 | 0 | 26750 | 26750 | 26750 | 00 |


 सचिव, ग्राम पंचायत रायपुर
 वि० बंगाणा जिला ऊना (हि० प्र०)
 M /

प्रा. 21/2/02
 कार्यवाही ग्राम पंचायत रायपुर विकास खंड बंगाला जिला-उत्तरांचल प्रदेश
 दिनांक: 01/04/2022 से 31/3/2022 तक फाईल में दी गई व वसूली की गई राशि का विवरण

| क्रम संख्या | नाम | विवाह की तिथि | पंजीकरण की तिथि | रसीद संख्या | वसूली योग्य राशि | वसूली की गई राशि | वसूली हेतु शेष राशि |
|-------------|--|---------------|-----------------|-------------|------------------|------------------|---------------------|
| 1 | कुलदीप चन्द सपुत्र सिंह राम गांव व डा0 रायपुर तह0 बंगाला जिला उना हि0 प्र0 | 20.4.2022 | 26.5.2022 | 0379815 | 400 | 200 | 200 |
| 2 | अशीष कुमार सपुत्र स्वरूप सिंह गांव कोलका डा0 रायपुर तह0 बंगाला जिला उना हि0 प्र0 | 09.05.2022 | 28.05.2022 | 0379816 | 200 | 200 | 00 |
| 3 | सुखविन्द्र सिंह पुत्र किशन सिंह बंगा गांव व डा0 रायपुर तह0 बंगाला जिला उना हि0 प्र0 | 11.05.2022 | 21.06.2022 | 0379817 | 400 | 200 | 200 |
| 4 | कौशल कुमार पुत्र बलदेव सिंह गांव व डा0 रायपुर तह0 बंगाला जिला उना हि0 प्र0 | 08.07.2022 | 06.08.2022 | 0379818 | 200 | 200 | 00 |
| 5 | प्रमोद कुमार पुत्र अजीत सिंह गांव कोलका डा0 रायपुर तह0 बंगाला जिला उना हि0 प्र0 | 18.02.2022 | 12.08.2022 | 0379819 | 200 | 200 | 00 |
| 6 | सतीश कुमार पुत्र अमरीक सिंह गांव व डा0 रायपुर तह0 बंगाला जिला उना हि0 प्र0 | 20.07.2022 | 27.08.2022 | 0379820 | 400 | 200 | 200 |
| 7 | नरेन्द्र कुमार पुत्र प्रकाश चन्द गांव अन्दरौली डा0 रायपुर तह0 बंगाला जिला उना हि0 प्र0 | 27.09.2022 | 17.10.2022 | 0379821 | 200 | 200 | 00 |
| 8 | रजनीश कुमार पुत्र तरसेम लाल गांव व डा0 रायपुर तह0 बंगाला जिला उना हि0 प्र0 | 12.12.2022 | 17.12.2022 | 0379822 | 200 | 200 | 00 |
| 9 | मुनीष कुमार पुत्र राम पाल गांव व डा0 रायपुर तह0 बंगाला जिला उना | 09.12.2022 | 17.12.2022 | 0379823 | 200 | 200 | 00 |
| 10 | अमित कुमार पुत्र विजय कुमार गांव व डा0 रायपुर तह0 बंगाला जिला उना हि0 प्र0 | 04.12.2022 | 23.12.2022 | 0379824 | 200 | 200 | 00 |
| 11 | रिंकु कुमार पुत्र नन्द लाल गांव व डा0 रायपुर तह0 बंगाला जिला उना हि0 प्र0 | 08.12.2022 | 02.01.2023 | 0379825 | 200 | 200 | 00 |
| 12 | शिव कुमार पुत्र जोगिन्द्र सिंह गांव व डा0 रायपुर तह0 बंगाला जिला उना हि0 प्र0 | 27.01.2023 | 16.03.2023 | 0379826 | 400 | 200 | 200 |
| 13 | सागर राज गौतम पुत्र जुगल किशोर गांव व डा0 रायपुर तह0 बंगाला जिला उना हि0 प्र0 | 02.05.2023 | 17.05.2023 | 0379827 | 200 | 200 | 00 |
| 14 | अमित कुमार पुत्र सुभाष कुमार गांव व डा0 रायपुर तह0 बंगाला जिला उना हि0 प्र0 | 12.05.2023 | 17.05.2023 | 0379828 | 200 | 200 | 00 |
| 15 | प्रेस ठाकुर पुत्र चरण दास गांव व डा0 रायपुर तह0 बंगाला जिला उना हि0 प्र0 | 03.05.2023 | 26.05.2023 | 0379829 | 200 | 200 | 00 |
| 16 | विकास बंगा पुत्र विधि चन्द गांव व डा0 रायपुर तह0 बंगाला जिला उना हि0 प्र0 | 03.05.2023 | 27.05.2023 | 0379830 | 200 | 200 | 00 |
| 17 | प्रेस पुत्र राम स्वरूप गांव व डा0 रायपुर तह0 बंगाला जिला उना हि0 प्र0 | 10.05.2023 | 03.06.2023 | 0379831 | 200 | 200 | 00 |
| 18 | अजय कुमार पुत्र रोशन लाल गांव व डा0 रायपुर तह0 बंगाला जिला उना हि0 प्र0 | 23.06.2023 | 22.07.2023 | 0379832 | 200 | 200 | 00 |
| 19 | विजय कुमार पुत्र सत्यनारायण गांव व डा0 रायपुर तह0 बंगाला जिला उना हि0 प्र0 | 23.06.2023 | 16.08.2023 | 0379833 | 400 | 200 | 200 |
| 20 | अकुश कुमार पुत्र रमेश चन्द गांव व डा0 रायपुर तह0 बंगाला जिला उना हि0 प्र0 | 22.09.2023 | 26.10.2023 | 0379834 | 400 | 200 | 200 |
| 21 | अजय कुमार पुत्र साधू राम गांव व डा0 रायपुर तह0 बौहडू कला जिला उना हि0 प्र0 | 22.09.2023 | 27.10.2023 | 0379835 | 400 | 200 | 200 |
| 22 | विवेक कुमार पुत्र राकेश चन्द गांव कोलका डा0 रायपुर तह0 बंगाला जिला उना हि0 प्र0 | 22.10.2023 | 23.11.2023 | 0379836 | 400 | 200 | 200 |
| 23 | करतार सिंह पुत्र जोगिन्द्र सिंह गांव व डा0 रायपुर तह0 बंगाला जिला उना हि0 प्र0 | 22.10.2023 | 23.11.2023 | 0379837 | 400 | 200 | 200 |
| 24 | मुकेश कुमार पुत्र किशन चन्द गांव व डा0 रायपुर तह0 बंगाला जिला उना हि0 प्र0 | 16.11.2023 | 07.12.2023 | 0379838 | 200 | 200 | 00 |
| 25 | सचिन गौतम पुत्र पवन कुमार गांव व डा0 रायपुर तह0 बंगाला जिला उना हि0 प्र0 | 28.11.2023 | 07.12.2023 | 0379839 | 200 | 200 | 00 |
| 26 | अंकुश कुमार पुत्र यश पाल गांव व डा0 रायपुर तह0 | 19.11.2023 | 08.12.2023 | 0379840 | 200 | 200 | 00 |

34

सचिव, ग्राम पंचायत रायपुर
 वि0 बंगाला जिला उना



| | | | | | | | |
|---------|--|------------|------------|---------|-----|------|------|
| | बंगाणा जिला ऊना हि०प्र० | | | | | | |
| 27 | विशाल पुत्र केहर सिंह गांव कोलका डा० रायपुर तह०
बीहड़ कंला जिला ऊना हि०प्र० | 28.11.2023 | 16.12.2023 | 0379841 | 200 | 200 | 00 |
| 28 | अंकित दिल्लो पुत्र मदन लाल गांव व डा० रायपुर तह०
बीहड़ कंला जिला ऊना हि०प्र० | 29.11.2023 | 16.12.2023 | 0379842 | 200 | 200 | 00 |
| 29 | अमनदीप कुमार पुत्र अश्वनी कुमार गांव व डा० रायपुर तह०
बंगाणा जिला ऊना हि०प्र० | 22.11.2023 | 16.12.2023 | 0379843 | 200 | 200 | 00 |
| 30 | शुभम चौधरी पुत्र मदन लाल गांव व डा० रायपुर तह०
बंगाणा जिला ऊना हि०प्र० | 08.12.2023 | 28.12.2023 | 0379844 | 200 | 200 | 00 |
| 31 | अमनदीप पुत्र हरवंस लाल गांव व डा० रायपुर तह०
बंगाणा जिला ऊना हि०प्र० | 01.02.2024 | 14.02.2024 | 0379845 | 200 | 200 | 00 |
| 32 | शशी कुमार पुत्र ब्रह्म दत्त गांव डा० रायपुर तह०
बंगाणा जिला ऊना हि०प्र० | 28.02.2024 | 11.03.2024 | 0379846 | 200 | 200 | 00 |
| 33 | मुनीष कुमार पुत्र कमल देव गांव व डा० रायपुर तह०
बंगाणा जिला ऊना हि०प्र० | 06.02.2024 | 18.03.2024 | 0379847 | 400 | 200 | 200 |
| 34 | राहुल कुमार गांव व डा० रायपुर तह० बंगाणा जिला
ऊना हि०प्र० | 18.02.2024 | 06.04.2024 | 0379848 | 400 | 200 | 200 |
| कुल योग | | | | | | 6800 | 2200 |



सचिव, ग्राम पंचायत रायपुर
बि०प्र० बंगाणा जिला ऊना (हि०प्र०)



100

100

100

100

औपचारिकताएं पूर्ण किए विना क्रय करना

| क्रमांक | शीर्ष का नाम | माह | वाउचर / बिल संख्या व दिनांक | फर्म का नाम एवं पता | क्रय सामान का विवरण | राशि (₹) |
|---------|--------------------------|-------|-----------------------------|---|------------------------|----------|
| 1 | Own & GIA (Consolidated) | 06/23 | --
23.05.23 | कृष्णा देवी गांव रायपुर | चायपान | 2200 |
| 2 | Own & GIA (Consolidated) | 06/23 | 003
26.05.23 | M/s Deepak Sharma & Associate | 2no. Digital Signature | 3540 |
| 3 | Own & GIA (Consolidated) | 06/23 | 254
20.05.23 | Charan dass hardware store raipur | Paint meterial | 9380 |
| 4 | Own & GIA (Consolidated) | 06/23 | 459, 457
07.06.23 | Ganpati Brick Kiln Traders Barnoh | Bricks | 52000 |
| 5 | 15 th fc | 06/23 | 349
20.05.23 | Sanjeev Hardware store | Sanitary material | 14337 |
| 6 | MNREGA | 06/23 | 280
23.12.21 | Superior Tiles & Blocks, baruhi | RCC Pipe | 16000 |
| 7 | MNREGA | 06/22 | 710
29.12.21 | J.S. Badhan Enterprises, balh kholi | PVC Pipe | 6050 |
| 8 | MNREGA | 06/23 | 442
25.04.23 | Shiv Om Steel Traders Bihru | Steel | 30007 |
| 9 | MNREGA | 06/23 | 1
25.04.23 | भुल्ला राम सपुत्र श्री लखु राम गांव अन्द्रोली | खच्चरों से दुलाई | 88922 |
| 10 | MNREGA | 06/23 | 335
15.04.22 | Sanjeev Hardware store | steel | 4396 |
| | | | | | योग | 226832 |

सचिव, ग्राम पंचायत रायपुर
बाराणसी जिला, उन्ना (300000)

11/11/11

11/11/11

परिशिष्ट 'ड'

पैरा संख्या 8.3 में संदर्भित

सामग्री की स्टॉक रजिस्ट्रों में स्टॉक प्राप्ति प्रविष्टियाँ व खपत / जारी करने से सम्बन्धित अभिलेख दर्ज न करना

| क्रमांक | शीर्ष का नाम | भुगतान माह | वाउचर / बिल संख्या व दिनांक | फर्म / व्यक्ति का नाम एवं पता | क्रय सामान का विवरण | राशि (₹) |
|---------|--------------------------|------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------------|----------|
| 1 | Own & GIA (Consolidated) | 06/23 | 003
26.05.23 | M/s Deepak Sharma & Associate | 2no. Digital Signature | 3540 |
| 2 | Own & GIA (Consolidated) | 06/23 | 2255
20.05.23 | Aryan Traders Bangana | Stationery | 650 |
| 3 | Own & GIA (Consolidated) | 06/23 | 254
20.05.23 | Charan dass hardware store raipur | Paint meterial | 9380 |
| 4 | Own & GIA (Consolidated) | 06/23 | 459, 457
07.06.23 | Ganpati Brick Kiln Traders Barnoh | Bricks | 52000 |
| 5 | Own & GIA (Consolidated) | 06/23 | 1215
05.06.23 | Dhiman Steel furniture industry | chair | 5000 |
| 6 | 15 th fc | 06/23 | 32866
02.06.23 | Himurja PO Una | 10. no. solar lights | 117760 |
| 7 | 15 th fc | 06/23 | 349
20.05.23 | Sanjeev Hardware store | Sanitary material | 14337 |
| 8 | MNREGA | 06/22 | 280
23.12.21 | Superior Tiles & Blocks, baruhi | RCC Pipe | 16000 |
| | | | | | योग | 218667 |

सचिव, ग्राम पंचायत रायेपुर
बिठूर, बगाना जिला, ऊना (580000)

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

तकनीकी मूल्यांकन के बिना मजदूरी का भुगतान करना

| क्रम संख्या | मद का नाम | माह | मस्टररोल संख्या | अवधि | कार्य का नाम | राशि | टिप्पणी |
|-------------|-----------|-------|-----------------|----------------------|--|-------|---|
| 1 | मनरेगा | 06/22 | 787 | 18.05.22 to 31.05.22 | C/o Link road Baba Sidh Chano Mandir | 16536 | मस्ट्रोलों में माप पुस्तिका संख्या 1047 का पृष्ठ संख्या 12 to 13 जाली अंकित किया गया था, जबकि उक्त पृष्ठ पर किसी और ही काम की रिकॉर्ड प्रविष्टियाँ दर्ज थी। |
| 2 | मनरेगा | 06/22 | 844 to 845 | 01.06.22 to 15.06.22 | C/o Link road Baba Sidh Chano Mandir | 19292 | मस्ट्रोलों में माप पुस्तिका संख्या 1047 का पृष्ठ संख्या 12 to 13 जाली अंकित किया गया था, जबकि उक्त पृष्ठ पर किसी और ही काम की रिकॉर्ड प्रविष्टियाँ दर्ज थी। |
| 3 | मनरेगा | 06/23 | 715 | 16.05.23 to 30.05.23 | C/o Ambulance road / Pully near shiv mandir se ravi dutt ke ghar tak | 17760 | मस्ट्रोलों में माप पुस्तिका संख्या 1047 का पृष्ठ संख्या 30 जाली अंकित किया गया था, जबकि उक्त पृष्ठ खाली छोड़ा गया था। |
| 4 | मनरेगा | 06/23 | 1191, 1192 | 01.06.23 to 15.06.23 | C/o Ambulance road / Pully near shiv mandir se ravi dutt ke ghar tak | 26988 | यथोपरि |
| 5 | मनरेगा | 06/23 | 717, 718 | 16.05.23 to 30.05.23 | C/o Ambulance road anganbadi baba | 960 | मस्ट्रोलों में माप पुस्तिका संख्या 1047 का पृष्ठ संख्या 36 जाली अंकित किया गया था, जबकि उक्त |

| | | | | | | | |
|----|--------|-------|---------------|----------------------------|--|--------|--|
| | | | | | bharthri se
mata
santoshi
mandir tak | | पृष्ठ खाली छोड़ा गया था
। |
| 6 | मनरेगा | 06/23 | 1180,
1181 | 01.06.23
to
15.06.23 | do | 3120 | यथोपरि |
| 7 | मनरेगा | 06/23 | 720,
721 | 16.05.23
to
30.05.23 | C/o Link
road Kangu
wali ward
no 2 | 37200 | मस्ट्रोलों में माप
पुस्तिका संख्या 1047
का पृष्ठ संख्या 57
जाली अंकित किया
गया था, जबकि उक्त
पृष्ठ खाली छोड़ा गया था
। |
| 8 | मनरेगा | 06/23 | 1187,
1188 | 01.06.23
to
15.06.23 | do | 27840 | यथोपरि |
| 9 | मनरेगा | 06/23 | 722,
723 | 16.05.23
to
30.05.23 | C/o
Ambulance
road se
main road
to panchyat
ghar h/o
joginder
singh | 22080 | मस्ट्रोलों में माप
पुस्तिका संख्या 1047
का पृष्ठ संख्या 60
जाली अंकित किया
गया था, जबकि उक्त
पृष्ठ खाली छोड़ा गया था
। |
| 10 | मनरेगा | 06/23 | 1193 | 01.06.23
to
15.06.23 | do | 8160 | यथोपरि |
| 11 | मनरेगा | 06/23 | 1185,
1186 | 01.06.23
to
15.06.23 | C/o
Ambulance
road main
road se h/o
maan
chand | 17040 | मस्ट्रोलों में माप
पुस्तिका संख्या 1047
का पृष्ठ संख्या 54
जाली अंकित किया
गया था, जबकि उक्त
पृष्ठ खाली छोड़ा गया था
। |
| | | | | | योग | 196976 | |


 Junior Auditor,
 H.P. State Audit Department
 Shimla-171009
 Audit Circle Una

Audit Circle Unit
Shimla-171009
H.P. State Audit Department
Junior Auditor.

ग्राम पंचायत रायपुर, विकास खंड बंगाणा, जिला ऊना

| क्रम संख्या | योजना | माह | कार्य का नाम | बिल संख्या | दिनांक | आपूर्तिकर्ता | सामग्री | मात्रा (क्यूबिक मीटर में) | कन्वर्जन फैक्टर | मात्रा टनों में | द्वेय रॉयल्टी (प्रति टन) | राशि |
|-------------|--------|--------|---|------------|------------|------------------------|---------|---------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------|--------|
| 1 | मनरेगा | 22-Jun | चेनालाईजेशन नाला अमर चंद, बलदेव सिंह, रणजीत सिंह रायपुर | 271 | 01-09-2022 | SANJEEV HARDWARE STORE | रेत | 16 | 1.62 | 25.92 | 80 | 2073.6 |
| | | | | | | | बजरी | 27 | 1.52 | 41.04 | 80 | 3283.2 |
| 2 | मनरेगा | 22-Jun | निर्माण डैंग सुरेंद्र कुमार पुत्र मस्त राम रायपुर | 323 | 20/03/2022 | SANJEEV HARDWARE STORE | रेत | 3 | 1.62 | 4.86 | 80 | 388.8 |
| | | | | | | | बजरी | 6 | 1.52 | 9.12 | 80 | 729.6 |
| 3 | मनरेगा | 22-Jun | निर्माण टैंक राज कुमार पुत्र नशू राम रायपुर | 317 | 20/03/2022 | SANJEEV HARDWARE STORE | रेत | 3 | 1.62 | 4.86 | 80 | 388.8 |
| | | | | | | | बजरी | 6 | 1.52 | 9.12 | 80 | 729.6 |
| 4 | मनरेगा | 22-Jun | निर्माण टैंक लेख राज पुत्र मनसु राम रायपुर | 324 | 20/03/2022 | SANJEEV HARDWARE STORE | रेत | 3 | 1.62 | 4.86 | 80 | 388.8 |
| | | | | | | | बजरी | 6 | 1.52 | 9.12 | 80 | 729.6 |
| 5 | मनरेगा | 22-Jun | निर्माण डैंग अजय कुमार पुत्र सतनारायण रायपुर | 325 | 20/03/2022 | SANJEEV HARDWARE STORE | रेत | 3 | 1.62 | 4.86 | 80 | 388.8 |
| | | | | | | | बजरी | 6 | 1.52 | 9.12 | 80 | 729.6 |
| 6 | मनरेगा | 22-Jun | निर्माण डैंग राजिन्द कुमार पुत्र खयाली राम रायपुर | 326 | 20/03/2022 | SANJEEV HARDWARE STORE | रेत | 3 | 1.62 | 4.86 | 80 | 388.8 |
| | | | | | | | बजरी | 6 | 1.52 | 9.12 | 80 | 729.6 |
| 7 | मनरेगा | 22-Jun | निर्माण लिक रोड मेन रोड से कांयू आली रायपुर | 250 | 22/12/2021 | SANJEEV HARDWARE STORE | रेत | 20 | 1.62 | 32.4 | 80 | 2592 |
| | | | | | | | बजरी | 35 | 1.52 | 53.2 | 80 | 4256 |
| 8 | मनरेगा | 22-Jun | निर्माण लिक रोड मेन रोड से कांयू आली रायपुर | 270 | 01-09-2022 | SANJEEV HARDWARE STORE | रेत | 5 | 1.62 | 8.1 | 80 | 648 |
| | | | | | | | बजरी | 12 | 1.52 | 18.24 | 80 | 1459.2 |
| 9 | मनरेगा | 22-Jun | निर्माण लिक रोड मेन रोड से कांयू आली रायपुर | 302 | 14/02/2022 | SANJEEV HARDWARE STORE | रेत | 23 | 1.62 | 37.26 | 80 | 2980.8 |

40

साक्ष्य, ग्राम पंचायत रायपुर
 दि. 08. बंगाणा, जिला ऊना (30.06.22)

| | | | | | | | | | | | | |
|----|--------|--------|---|-----|------------|------------------------|------|----|------|-------|----|--------|
| 10 | मनरेगा | 22-Jun | निर्माण लिंक रोड मेन रोड से कांजु आली रायपुर | 303 | 14/02/2022 | SANJEEV HARDWARE STORE | बजरी | 23 | 1.52 | 34.96 | 80 | 2796.8 |
| 11 | मनरेगा | 22-Jun | निर्माण लिंक रोड बलविंदर सिंह रायपुर | 254 | 22/12/2021 | SANJEEV HARDWARE STORE | रेत | 10 | 1.62 | 16.2 | 80 | 1296 |
| | | | | | | | बजरी | 6 | 1.52 | 9.12 | 80 | 729.6 |
| 12 | मनरेगा | 22-Jun | निर्माण लिंक रोड बलविंदर सिंह रायपुर | 267 | 01-08-2022 | SANJEEV HARDWARE STORE | रेत | 20 | 1.62 | 32.4 | 80 | 2592 |
| | | | | | | | बजरी | 40 | 1.52 | 60.8 | 80 | 4864 |
| 13 | मनरेगा | 22-Jun | लिंक रोड मेन रोड से संतोषी माता मंदिर रायपुर | 311 | 20/03/2022 | SANJEEV HARDWARE STORE | बजरी | 27 | 1.52 | 41.04 | 80 | 3283.2 |
| 14 | मनरेगा | 22-Jun | लिंक रोड मेन रोड से संतोषी माता मंदिर रायपुर | 312 | 20/03/2022 | SANJEEV HARDWARE STORE | रेत | 15 | 1.62 | 24.3 | 80 | 1944 |
| 15 | मनरेगा | 22-Jun | लिंक रोड बाबा सिद्ध चानो मंदिर रायपुर | 313 | 20/03/2022 | SANJEEV HARDWARE STORE | बजरी | 27 | 1.52 | 41.04 | 80 | 3283.2 |
| 16 | मनरेगा | 22-Jun | लिंक रोड बाबा सिद्ध चानो मंदिर रायपुर | 314 | 20/03/2022 | SANJEEV HARDWARE STORE | बजरी | 27 | 1.52 | 41.04 | 80 | 3283.2 |
| 17 | मनरेगा | 22-Jun | लिंक रोड बाबा सिद्ध चानो मंदिर रायपुर | 315 | 20/03/2022 | SANJEEV HARDWARE STORE | रेत | 30 | 1.62 | 48.6 | 80 | 3888 |
| 18 | मनरेगा | 23-Jun | निर्माण गलुआ से मेहर सिंह, जैसी राम आदि | 71 | 25/04/2023 | REKHA DEVI | रेत | 6 | 1.62 | 9.72 | 80 | 777.6 |
| | | | | | | | बजरी | 8 | 1.52 | 12.16 | 80 | 972.8 |
| 19 | मनरेगा | 23-Jun | निर्माण वाटर टैंक अजय कुमार पुत्र देव प्रकाश रायपुर | 51 | 01-09-2023 | REKHA DEVI | रेत | 3 | 1.62 | 4.86 | 80 | 388.8 |
| | | | | | | | बजरी | 6 | 1.52 | 9.12 | 80 | 729.6 |
| 20 | मनरेगा | 23-Jun | निर्माण लिंक रोड जगदीश चंद कोलका | 47 | 30/12/2022 | REKHA DEVI | रेत | 15 | 1.62 | 24.3 | 80 | 1944 |
| | | | | | | | बजरी | 30 | 1.52 | 45.6 | 80 | 3648 |
| 21 | मनरेगा | 23-Jun | निर्माण लिंक रोड मेन रोड से विजय कुमार पुत्र | 46 | 23/06/2023 | REKHA DEVI | रेत | 27 | 1.62 | 43.74 | 80 | 3499.2 |

- 88 41

सचिव, ग्राम पंचायत रायपुर
खिंड, बरगुण, जिला ऊना (50400)

| | | जगर नाथ | | | बजरी | 48 | 1.52 | 72.96 | 80 | 5836.8 |
|----|-----|--|----|------------|------|----|------|-------|-----------|---------|
| 22 | SDP | निर्माण लिंक रोड
पंजोथरी संजय कुमार | 86 | 25/04/2023 | रेत | 4 | 1.62 | 6.48 | 80 | 518.4 |
| | | | | | बजरी | 11 | 1.52 | 16.72 | 80 | 1337.6 |
| | | | | | | | | | योग | 70497.6 |
| | | | | | | | | | 25%बैनलटी | 17624.4 |
| | | | | | | | | | कुल योग | 88122 |

साधन, ग्राम सभासत रायपुर
वि.प्र. बंगलगा, जिला ऊना (50000)

- 32 42

माह 06/22 में SANJEEV HARDWARE STORE को किए गए भूगतान का विवरण

| क्रम संख्या | मद | बिल संख्या | बिल दिनांक | विवरण | राशि (जी.एस.टी. को छोड़कर) |
|-------------|--------|------------|------------|---------------|----------------------------|
| 1 | मनरेगा | 271 | 01-09-2022 | रेत, बजरी | 82750 |
| 2 | मनरेगा | 323 | 20/03/2022 | रेत, बजरी | 14250 |
| 3 | मनरेगा | 317 | 20/03/2022 | रेत, बजरी | 14250 |
| 4 | मनरेगा | 324 | 20/03/2022 | रेत, बजरी | 14250 |
| 5 | मनरेगा | 325 | 20/03/2022 | रेत, बजरी | 14250 |
| 6 | मनरेगा | 326 | 20/03/2022 | रेत, बजरी | 14250 |
| 7 | मनरेगा | 250 | 22/12/2021 | रेत, बजरी | 86750 |
| 8 | मनरेगा | 270 | 01-09-2022 | रेत, बजरी | 27050 |
| 9 | मनरेगा | 302 | 14/02/2022 | रेत, बजरी | 33350 |
| 10 | मनरेगा | 303 | 14/02/2022 | रेत, बजरी | 37950 |
| 11 | मनरेगा | 254 | 22/12/2021 | रेत, बजरी | 24400 |
| 12 | मनरेगा | 267 | 01-08-2022 | रेत, बजरी | 95000 |
| 13 | मनरेगा | 311 | 20/03/2022 | रेत, बजरी | 44550 |
| 14 | मनरेगा | 312 | 20/03/2022 | रेत, बजरी | 21750 |
| 15 | मनरेगा | 313 | 20/03/2022 | रेत, बजरी | 44550 |
| 16 | मनरेगा | 314 | 20/03/2022 | रेत, बजरी | 44550 |
| 17 | मनरेगा | 315 | 20/03/2022 | रेत, बजरी | 43500 |
| 18 | मनरेगा | 273 | 01-09-2022 | शटरिंग मिक्चर | 37200 |
| 19 | मनरेगा | 272 | 01-09-2022 | शटरिंग मिक्चर | 36000 |
| 20 | मनरेगा | 316 | 20/03/2022 | किराया सीमेंट | 1500 |
| 21 | मनरेगा | 301 | 14/02/2022 | किराया सीमेंट | 23100 |
| 22 | मनरेगा | 305 | 14/02/2022 | किराया सीमेंट | 7350 |
| 23 | मनरेगा | 320 | 20/03/2022 | किराया सीमेंट | 2100 |
| 24 | मनरेगा | 266 | 23/11/2021 | शटरिंग मिक्चर | 33990 |
| 25 | मनरेगा | 310 | 20/03/2022 | किराया सीमेंट | 3600 |
| 26 | मनरेगा | 304 | 20/03/2022 | किराया सीमेंट | 7650 |
| | | | | कुल योग | 809890 |

सांचव, ग्राम पंचायत सयपुर
 शिवर, बगाना, जिला ऊना (30090)

| माह 06/23 में REKHA DEVI को किए गए भूगतान का विवरण | | | | | |
|--|--------|------------|------------|-----------|----------------------------|
| क्रम संख्या | मद | बिल संख्या | बिल दिनांक | विवरण | राशि (जी.एस.टी. को छोड़कर) |
| 1 | मनरेगा | 71 | 25/04/2023 | रेत, बजरी | 39374 |
| 2 | मनरेगा | 51 | 01-09-2023 | रेत, बजरी | 12330 |
| 3 | मनरेगा | 47 | 30/12/2022 | रेत, बजरी | 74560 |
| 4 | मनरेगा | 46 | 23/06/2023 | रेत, बजरी | 119192 |
| 5 | SDP | 86 | 25/04/2023 | रेत, बजरी | 33017 |
| | | | | कुल योग | 278473 |


 सचिव, ग्राम पंचायत रायपुर
 वि० नं० बगाना जिला ऊना (300001)


 44

Handwritten scribbles or marks in the top right corner.

Handwritten text or marks in the middle left area.

परिशिष्ट "झ"

पैरा संख्या 9.1 में संदर्भित

मनरेगा शीर्ष से करवाए गए निर्माण कार्यों में प्रयुक्त निर्माण सामग्री रेत व बजरी को खपत से अधिक जारी करने के कारण अधिक भुगतान करना

क) कार्य का नाम :- C/O Channalisation Nala Land of Amar Chand, Baldev etc.

| मापन पुस्तिका व पृष्ठ संख्या | मद का नाम | मात्रा (घन मीटर) | रेत (घन मीटर) | बजरी (घन मीटर) |
|------------------------------|--|------------------|----------------------|----------------------|
| 1047, 8 | CC 1:4:8 | 17.43 | 8.19 | 15.51 ✓ |
| 9 | CC 1:3:6 | 51.45 | 24.18 | 45.79 ✓ |
| | योग | | 32.37 ✓ | 61.3 ✓ |
| | बिल संख्या 232, 271 अनुसार जारी / खपत मात्रा | | 41 | 77 |
| | अधिक खपत / जारी निर्माण सामग्री | | 8.63 ✓ | 15.70 ✓ |
| | क्रय दर | | 1522.5 प्रति घन मीटर | 1732.5 प्रति घन मीटर |
| | अधिक भुगतान | | 13139.17 ✓ | 27200.25 ✓ |
| | कुल अधिक भुगतान | | 40339.49 ✓ | |

ख) कार्य का नाम :- C/O Link road main road se Kangu aali

| मापन पुस्तिका व पृष्ठ संख्या | मद का नाम | मात्रा (घन मीटर) | रेत (घन मीटर) |
|------------------------------|--|------------------|----------------------|
| 1047, 10 | CC 1:5:10 | 37.80 | 17.76 ✓ |
| 11 | CC 1:2:4 | 16.01 | 7.12 ✓ |
| 14 | CC 1:5:10 | 23.06 | 10.83 ✓ |
| 14 | CC 1:2:4 | 19.21 | 8.54 ✓ |
| | योग | | 44.25 ✓ |
| | बिल संख्या 250, 270, 302, 303 अनुसार जारी / खपत मात्रा | | 48.00 |
| | अधिक खपत / जारी निर्माण सामग्री | | 3.75 ✓ |
| | क्रय दर | | 1522.5 प्रति घन मीटर |
| | अधिक भुगतान | | 5709.37 ✓ |

(Signature)
 Junior Auditor,
 H.P. State Audit Department
 Shimla-171009
 Audit Circle Una

45

Audit Circle Una
Shimla-171003
H.P. State Audit Department
Junior Auditor

ग)

कार्य का नाम :- C/O Pully / Link road balvinder singh etc

| मापन पुस्तिका
व पृष्ठ संख्या | मद का नाम | मात्रा (घन
मीटर) | रेत (घन
मीटर) | बजरी (घन
मीटर) |
|---------------------------------|---|---------------------|----------------------------|----------------------------|
| 1047, 5 | CC 1:4:8 | 17.82 | 8.37 | 15.85 |
| 5 | CC 1:2:4 | 18.37 | 8.17 | 16.34 |
| 6 | Sand filling | --- | 6.80 | 0.00 |
| 7 | CC 1:2:4 | 9.94 | 4.67 | 8.84 |
| | | योग | 28.01 | 41.03 |
| | बिल संख्या 254, 267 अनुसार जारी / खपत
मात्रा | | 30.00 | 46.00 |
| | अधिक खपत / जारी निर्माण सामग्री | | 1.99 | 4.97 |
| | क्रय दर | | 1522.5
प्रति घन
मीटर | 1732.5
प्रति घन
मीटर |
| | अधिक भुगतान | | 3030 | 8611 |
| | कुल अधिक भुगतान | | 11641 | |

कुल अधिक भुगतान (क+ख+ग) = 57689.86

(Signature)
Junior Auditor,
H.P. State Audit Department
Shimla-171009
Audit Circle Una

Junior Auditor,
H.P. State Audit Department
Shimla-171009
Audit Circle Una

परिशिष्ट अ

पैरा संख्या 10.2 में संदर्भित

माप पुस्तिकाएं अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना

| क्रम संख्या | शीर्ष नाम | का वाउचर संख्या व माह | कार्य का नाम | बिल / मस्ट्रोल संख्या व दिनांक | सामग्री | राशि |
|-------------|--------------------------|-----------------------|---|--|--------------------|-----------|
| 1 | Own & GIA (Consolidated) | P1-3 06/23 | खाता निर्माण महिला मंडल भवन गांव ज्वालपुर | 459,457 07.06.23, 036001 07.07.23 | Bricks, cement | 97027 |
| 2 | Own & GIA (Consolidated) | P-4 06/23 | खाता निर्माण लिंक रोड से मान चन्द के घर तक | 036001 07.07.23 | Cement | 18156 |
| 3 | Own & GIA (Consolidated) | P-5 06/23 | खाता निर्माण लिंक रोड से कांगूआली | 036001 07.07.23 | Cement | 18156 |
| 4 | MNREGA | 06/22 | C/o Link road dholi to mokshdham ward no 5 | 305, 320, 710 14.02.22, 20.03.22, 29.12.21 | carriage | 15500 |
| 5 | MNREGA | 06/22 | C/O Link road main road se mata santoshi mandir | 44469, 310 to 312 20.03.22 | Cement, sand, agg. | 110069.40 |
| 6 | MNREGA | 06/23 | C/o Play Ground & Shed GSSS Raipur | 442 25.04.23 | Steel | 30007 |
| 7 | MNREGA | 06/23 | C/O Link road main road se mata santoshi mandir | 335 15.04.22 | Sand, agg. etc | 4396 |
| | | | | | योग | 293311.4 |

Received by

सचिव, ग्राम पंचायत रायपुर
बिठूर, बगौणा, जिला ऊना (530009)

(देव राज)
कनिष्ठ लेखा परीक्षक
हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा
विभाग शिमला-9

- 47

